117-172

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

समक्षः– लोक अदालत
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती अपर्णा शर्मा

स्व प्रकरण सं0 :– 62/2020 बउनवानी मन्जू बनाम कमलेश वगै0

नांक ...ा या ...वाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
.2022	आज पत्रावली लोक–अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। अधिवक्तागण उभयपक्षों की बहस सुनी गई। हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। अतः उपरोक्त विवचन के मद्देनजर प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य साबित ना होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो। आदेश आज दिनांक 12.03.2022 को लोक अदालत में सुनाया गया। सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner